



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24092022-239094
CG-DL-E-24092022-239094

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 640]
No. 640]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 23, 2022/आश्विन 1, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 23, 2022/ ASVINA 1, 1944

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2022

सा.का.नि.-721(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियम, 2009 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सचिवालय सेवा (संशोधन) नियम, 2022 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियम, 2009 में,--
 - नियम 21 में "अनुकूल," शब्द के पश्चात् "आयोग के परामर्श से" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;
 - नियम 23 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:--

"23. शिथिल करने की शक्ति—केन्द्रीय सरकार यदि इस बात से संतुष्ट है कि इनमें से किसी नियम और उसके अधीन बनाए गए विनियमों के लागू होने से व्यक्तियों या पदों के किसी वर्ग या श्रेणी के लिए अनुचित कठिनाई पैदा हो रही है, तो,

आयोग के परामर्श से, इन नियमों और उसके अधीन बनाए गए विनियमों को हटाया जा सकेगा/सकेगी या इस नियम की अपेक्षा में ऐसी सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रियायत दी जा सकेगी जैसा आवश्यक समझा जाए।

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 140(अ), तारीख 27 फरवरी, 2009 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

[फा.सं.-25/04/2022-सीएस.1(पी)]

वर्षा सिन्हा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel And Training)

NOTIFICATION

New Delhi, 22nd September, 2022

G.S.R. 721(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Secretariat Service Rules, 2009 namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Central Secretariat Service (Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Secretariat Service Rules, 2009, -

(i) in rule 21, after the word “regulation”, the words “in consultation with the Commission”, shall be inserted;

(ii) for rule 23, the following rule shall be substituted, namely:-

“23. Power to Relax.—Where the Central Government is satisfied that the operation of any of these rules and the regulations made thereunder causes undue hardship in any class or category of persons or posts, it may dispense with or relax, in consultation with the Commission, the requirement of the rules and the regulations made thereunder to such extent and subject to such conditions, as it may consider necessary”.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part (II) Section 3 Sub-section (i) vide notification number G.S.R.140 (E), dated the 27th February, 2009.

[F. No. – 25/04/2022-CS.I(P)]

VARSHA SINHA, Jt. Secy.